परिशिष्ठ – "अ"

विधानसभा अतांराकित प्रश्न क्रमांक 482 – प्रश्नकर्ता मान्नीय श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, मध्यप्रदेश विधानसभा

(1) दिनांक 2.4.2013 को मान्नीय कुंवर विजय शाह, मंत्री, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।

(2) दिनांक 29.8.2013 को मान्नीय कुंवर विजय शाह, मंत्री, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।

(3) दिनांक 20.9.2013 को श्रीमान् सुरेन्द्र सिंह, महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश

(4) दिनांक 16.9.2013 को श्री जी. पी. ताम्रकार, सर्किल जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, इंदौर।

परिशिष्ठ – "ब"

विधानसभा अतांराकित प्रश्न क्रमांक 482 – प्रश्नकर्ता मान्नीय श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, मध्यप्रदेश विधानसभा

जिला जेल खण्डवा के दिनांक 30.09.2013 की दरमियानी रात्रि लगभग 2.30 बजे 07 सिमी बंदी फरारी प्रकरण में जेल अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध नियम 14 के तहत कार्यवाही उपरांत प्रकरण में दोषियों को निम्नानुसार जेल मुख्यालय द्वारा दण्ड पारित किया गया है :–

(1) श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर, तत्कालीन अधीक्षक, जिला जेल खण्डवा वर्तमान में केन्द्रीय जेल, बड़वानी के विरूद्ध जेल मुख्यालय के आदेश क्रमांक 1159/विधि–डी दिनांक 9.10.2015 द्वारा परिनिंदा के दण्ड से दंडित किया गया था, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में शासनादेश क्रमांक 2204/2461/2014/तीन जेल दिनांक 19.11.2015 द्वारा उक्त दण्ड निरस्त किया गया।

(2) श्री सुनील शर्मा, उप जेल अधीक्षक, जिला जेल खण्डवा वर्तमान में जिला जेल मंदसौर के विरूद्ध जेल मुख्यालय के आदेश क्रमांक 1161/विधि–डी दिनांक 9.10.2015 द्वारा आगामी 02 वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दंडित किया गया हैं जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील शासन स्तर पर विचाराधीन है।

(3) श्री डी. एस. चन्द्रावत, सहायक जेल अधीक्षक, जिला जेल खण्डवा के विरूद्ध जेल मुख्यालय के आदेश क्रमांक 1379/विधि–डी दिनांक 23.11.2015 द्वारा दो आगामी वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गई थी, चूंकि श्री चन्द्रावत नवनियुक्त अधिकारी होकर परिवीक्षाधीन थे, उक्त कारण से उक्त आदेश को निरस्त कर जेल मुख्यालय के आदेश क्रमांक 1521 दिनाकं 23.12.2015 द्वारा उक्त पूर्व दण्ड आदेश दिनांक 23.11.2015 में दी गई सजा परिवर्तित करते हुए सेवाभूमिका में परिनिंदा के दण्ड से दंडित किया गया।

(4) श्री छोटे लाल यादव, इंचार्ज मुख्य प्रहरी, श्री द्विजेन्द्र कुमार तिवारी, मुख्य प्रहरी, श्री नरेन्द्र लोधी, प्रहरी एवं श्री मनीष गजभिये, प्रहरी के विरूद्ध जेल मुख्यालय के आदेश क्रमांक 1162/विधि–डी दिनांक 9.10.2015 द्वारा उक्त चारों अपचारी कर्मचारियों की दो–दो वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने की दीर्घशास्ति अधिरोपित की गई थी तथा श्री हरिशंकर सिंह ठाकुर का दिनांक 4.11.2014 को स्वर्गवास हो जाने से विभागीय जांच प्रकरण समाप्त किया गया था।

टीप : श्री सुनील शर्मा, उप जेल अधीक्षक एवं प्रहरी वर्ग को निलंबित किया गया था।